

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15-3-22

वादी के आवेदन द्वारा पार्थिव-पत्र के  
कार्तव्य किया कि वादी व पार्थिव-पत्र  
के मध्य शर्तिया हो गया है अतः पत्रपत्नी  
को हलकर नोट प्रेश करवाया  
जावे। पार्थिव-पत्र पर पत्रपत्नी हलकर  
की गई वादी के आवेदन द्वारा वाद  
पत्र को नोट प्रेश कर हलकर पत्रपत्नी  
किये गये, अतः वादी का वाद-पत्र  
नोट प्रेश करवाया किया जाता है पत्रपत्नी  
नखर से काम होकर दारिद्र्य कर  
है।

असुखण्ड अधिकारी  
बाबरी (दुबो)